न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS
अपील संख्या : 20/2018

गोकुल देवी पत्नी शंकरलाल, जाति–अहीर निवासी–तिगरिया, तहसील–चौमू, जिला जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
2. शांति देवी पत्नी परसाराम, जाति–अहीर, निवासी–तिगरिया, तहसील–चौमू, जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, चौमू दिनांक 23.03.2015 नामान्तरकरण संख्या 1893 ग्राम तिगरिया)

उपस्थितः–
1. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. पेरोकार सरकार उपस्थित।
3. श्री उम्मेद सिंह शेखावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 25.02.2020

प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तिगरिया, तहसील–चौमू, जिला जयपुर स्थित ख0नं0 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3354, 3355, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361 कुल किता 12 कुल रकबा 6.76 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने दौराने स्थगन आदेश दिनांक 23.06.2006 को जरिये विक्रय पत्र छोटी देवी पत्नी मुन्ना से अपने नाम करवा लिया, जबकि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं0 2 का कोई कब्जा काश्त नही है। अपीलान्ट द्वारा बिना कब्जे के अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी कर तलबी की गई। तहसीलदार, चौमू से मूल नामान्तरकरण की प्रति प्राप्त की गई।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम तिगरिया, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर स्थित ख0नं0 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3354, 3355, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361 कुल किता 12 कुल रकबा 6.76 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने दौराने स्थगन आदेश दिनांक 23.06.2006 को जरिये विक्रय पत्र छोटी देवी पत्नी मुन्ना से अपने नाम करवा लिया, जबकि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं0 2 का कोई कब्जा काश्त नही है। वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र का नामान्तरकरण खुलवाये जाने हेतु रेस्पोडेन्ट सं0 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार, चौमू द्वारा मौके एवं अन्य जानकारियों की रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली गई। पटवारी हल्का तिगरिया द्वारा क्रय की गई भूमि को विवादित बताकर तहसीलदार, चौमू के समक्ष अपनी रिपोर्ट में 135 (2) एल.आर.एक्ट में दर्ज करने हेतु निवेदन किया जाने पर वादग्रस्त भूमि के संबंध में सभी शामलाती खातेदारान को नोटिस जारी किये

Scanned with CamScanner

गये जिस पर अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में चले स्थगन आदेश की नकल तहसीलदार, चौमू के समक्ष पेश की व ज़वाब भी पेश किया। दिनांक 24.01.2014 को तहसीलदार, चौमू द्वारा विक्रय पत्र के नामान्तरकरण को अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को पुनः बिना सूचना व नोटिस दिये बिना ही व बिना सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार, चौमू द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 1893 दिनांक 23.03.2015 को तस्दीक कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 26.05.2015 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर प्राप्त हुई। उक्त जानकारी होने के उपरान्त नामान्तरकरण निरस्त कराने की प्रक्रिया की जानकारी कर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः वादग्रस्त भूमि की अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को डिले कण्डोन किया जावें।

वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट की पैतृक भूमि है और अपीलान्ट को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए सुनवाई हेतु नोटिस दिया जाना कानून आवश्यक था जिसकी पालना रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा नही की गई है और बाला–बाला ही तहसीलदार, चौमू को मुगालते में रखकर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण पूर्व में दिनांक 24.01.2014 को खारिज किया जा चुका था जिसे पुनः रिस्टोर किया जाकर दोनो पक्षकारान को सुनने उपरान्त ही नामान्तरकरण का फैसला लिया जाना चाहिए था। वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमू एवं न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा खोला गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है। अतः नामान्तरकरण सं0 1893 दिनांक 23.03.2015 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक कराने के आदेश प्रदान किये जावें। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः–

1- RRT 2015(1) Page No. 39
2- RRD 1992 Page No. 304

विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 2 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट सं0 2 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि विधिवत् रूप से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गई है। तहसीलदार, चौमू द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गई है। तहसीलदार, चौमू द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में यह अंकित किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक होने की जानकारी उन्हे दिनांक 25.05.2015 को राजस्व रिर्काड की जमाबंदी पटवार हल्का तिगरिया से नकल लेने के पश्चात् हुई। इससे पूर्व उन्हे अपीलाधीन नामान्तरकरण जानकारी नही थी। चूंकि अपीलान्ट को दिनांक 25.05.2015 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई है। अतः जानकारी तिथी से अन्दर मियाद शुमार मानते हुए अपील को डिले कण्डोन किया जाता है।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया गया है कि प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमू के यहां विचाराधीन प्रकरण सं0 139/2006 के निर्णय दिनांक 07.02.2011 के द्वारा स्थगन वेकिट किया गया था जिसके विरूद्ध गोकुल देवी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी सं0 950/2011 प्रस्तुत की गई थी। उक्त प्रकरण में दिनांक 09.03.2011 को मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे। इसके पश्चात् प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा वर्तमान में भी प्रभावी है अथवा नही इसकी

Scanned with CamScanner

जानकारी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नही की गई है ना ही यह अवगत कराया गया है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में वादग्रस्त निगरानी का निर्णय हुआ अथवा नही। लगभग 09 वर्ष पश्चात् भी प्रकरण का निस्तारण हुआ अथवा नही इसकी जानकारी नही है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 09.03.2011 को वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई थी तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.03.2015 को नामान्तरकरण सं0 1893 तस्दीक किया गया है। नामान्तरकरण पर पटवारी हल्का द्वारा स्थगन नही होने की रिपोर्ट की है। जिसके आधार पर तहसीलदार, चौमू द्वारा दिनांक 23.03.2015 को नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है।

उक्त विवेचनानुसार तहसीलदार, चौमू द्वारा पैतृक सम्पति की भूमि के संबंध में उभयपक्षों को सुने बिना ही दस्तावेजों का समुचित रूप से निरीक्षण किये बिना ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण सं0 1893 दिनांक 23.03.2015 ग्राम तिगरिया निरस्त किया जाकर तहसीलदार, चौमू को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को सुनकर तथा असल दस्तावेजों/न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/अस्थाई निषेधाज्ञा का परीक्षण कर पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सत्यमेव जयते जयपुर जिला-जयपुर (राज.)

25-2-20

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned with CamScanner